राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :–एफ 55( )PA/CE/DLB/RC_Goods_LoI/2020/ 2048-2261 दिनांक :– 07/10/2020

परिपत्र

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/ पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :– बजट घोषणा वर्ष 2020–21 ''सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य मशीनों से करवाये जाने के लिए सीवर मशीन मय सुरक्षा उपकरणों के एवं ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु आवश्यक यंत्र एवं उपकरण क्रय'' की कियान्विती हेतु आवश्यक मशीनों/उपकरणों की विभाग द्वारा स्वीकृत दर संविदा के तहत् क्रय के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा की क्रियान्विती हेतु विभाग द्वारा खुली निविदा आमंत्रित कर आवश्यक मशीन/उपकरणों की सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दर स्वीकृत की गई है। स्वीकृत दरों के अनुसार फर्मो को LoI for Rate Contract जारी किया गया, जिनकी प्रति संलग्न है तथा स्वीकृत दरों के क्रय के सम्बन्ध में निविदा की शर्ते व आवश्यक निर्देश निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेन्ट) व अन्य विवरण संलग्न किये जा रहे है।

निकायों द्वारा निविदा के समस्त शर्तो RTPP Act 2012 & Rules 2013 के प्रावधानों के अनुरूप एवं LoI की शर्तो के अनुरूप वित्तीय शक्तियों की सीमा के अन्तर्गत राशि उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकतानुसार मशीन/उपकरण का क्रय किये जाने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत दर पर सम्बन्धित फर्म को सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश एवं अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

कयादेश एवं फर्म के साथ अनुबन्ध संलग्न निर्धारित प्रारूप में निकाय स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 06/2018 दिनांक 30.05.2018 के अनुसार राशि रू. 500/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर फर्म द्वारा कार्यादेश की राशि का 5% अथवा RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के अनुरूप Performance Security जमा करवाने के पश्चात् किया जावेगा। निम्न दस्तावेज अनुबन्ध के पार्ट रहेगें :–

1. फर्म को जारी कयादेश
2. विभाग द्वारा जारी Letter of Intent (LoI) for rate contract
3. Addendum
4. Special Condition of Contract
5. General Condition of Contract
6. Schedule of Supply and Technical Specification
7. Instruction to bidders
8. Notice Inviting Bid

LoI के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार निकाय आवश्यक होने पर स्वीकृत दरों पर फर्म से O&M का अनुबन्ध नियमानुसार निविदा प्रपत्र में O&M की शर्तो के अनुसार किया जा सकेगा। LoI के बिन्दु संख्या 05 एवं निविदा के क्लाज SSC 5.5 (price fall clause) की पालना करनी होगी।

मशीनों/उपकरणों की स्वीकृत दरों में मशीनों की बैसिक दर व रिलेटेड सर्विसेज यथा One year comprehensive Insurance, Installation, Transportation, Testing & Commissioning and Training सम्मिलित है। साथ ही Third Party Inspection के चार्जेज भी सप्लायर को वहन करने होगें। स्वीकृत दरों के अतिरिक्त नियमानुसार GST अतिरिक्त देय होगा।

क्रयादेश में सप्लाई की निर्धारित अवधि अंकित की जावेगी। निर्धारित अवधि में मशीने सप्लाई नही करने की स्थिति में GCC clause 4.5 के अनुसार Liquidated damages लगाये जावेगे। क्रयोदश के उपरान्त निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार SCC 2.13.3 के अनुसार सप्लायर के वकर्स/फैक्ट्री पर निर्धारित प्रकियानुसार Third Party के साथ Inspection किया जावेगा।

सप्लायर द्वारा मांग करने पर SCC 4.2.7 के अनुसार चेसीस हेतु अग्रिम भुगतान, चेसीस का प्रोफार्मा एवं चेसीस प्रोफार्मा की राशि के बराबर की बैंक गांरटी (जो की 6 माह तक वैध हो) प्राप्त करने पर (प्रारूप संलग्न) दिया जायेगा एवं मशीन/उपकरणों की प्राप्ति होने के बाद अग्रिम भुगतान की बैंक गारंटी लौटाई जावेगी।

निर्धारित स्थान पर मशीनों/उपकरणों की सप्लाई निविदा की शर्तो के अनुरूप करने पर SCC 3.5.1 पर वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर SCC 4.2.1 के अनुसार भुगतान किया जावेगा। मशीन/उपकरण की आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा मशीन/उपकरण के संचालन हेतु निकाय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

गारंटी/वारंटी निविदा की शर्त GCC 4.6 & SCC 4.6.3 के अनुसार मशीन/उपकरणों की गारंटी/वारंटी आपूर्ति दिनांक से एक वर्ष तक होगी एवं गारंटी/वारंटी की अवधि समाप्त होन के बाद Performance Security निकाय द्वारा निविदा की शर्त GCC 4.4 के अनुसार सप्लायर द्वारा समस्त Obligation पूर्व करने के उपरान्त लौटाई जावेगी। O&M के अनुबन्ध की स्थिति में O&M कार्यादेश की अवधि के उपरान्त O&M की Performance Security नियमानुसार लौटाई जावेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बजट घोषणा की क्रियान्विति समयबद्ध रूप से करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को सूचित करावें, जिससे कि उच्चाधिकारियों को पालना रिपोर्ट भेजी जा सकें।

संलग्न :– LoI for rate contract, निविदा की शर्ते, स्पेशिफिकेशन, निविदा मे जारी Addendum.

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :–एफ 55( )PA/CE/DLB/RC_Goods_LoI/2020/ 2262-2275 दिनांक :– 07/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

7/10/20
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता